



-प्रस्ताव-

माननीय जिला न्यायाधीश नैनीताल महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 नवम्बर, 2024 के अनुक्रम में बहिरस्थ सिविल न्यायालय, रामनगर, जिला नैनीताल में संविदा के आधार पर एक योग्य दैनिक वेतनभोगी अंशकालिक चौकीदार का चयन किये जाने हेतु अपर जिला जज/ प्रभारी अधिकारी नजारत, रामनगर, सिविल जज (सी.डि.), रामनगर एवं सिविल जज (जू.डि.), रामनगर की कमेटी का गठन किया गया है। परन्तु, सिविल जज (सी.डि.), रामनगर दिनांक 09-12-2024 से 11-12-2024 तक की अवधि में आकस्मिक अवकाश पर हैं। माननीय जिला जज, नैनीताल महोदय के आदेश दिनांक 07-12-2024, के अनुक्रम में अपर जिला जज/ प्रभारी अधिकारी नजारत, रामनगर, सिविल जज (सी.डि.), रामनगर एवं सिविल जज (जू.डि.), रामनगर की सदस्यता में एक योग्य दैनिक वेतनभोगी अंशकालिक चौकीदार के चयन के लिए शासनादेश संख्या 352(1)/VIII/13-228(श्रम)/ 2001 देहरादून दिनांक 06-03-2013 के तहत निर्धारित पारिश्रमिक पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त चौकीदार के पद का वेतन प्रतिमाह मुव. 4980/-रूपये (उड़नपचास रूपये) देय होगा। एक योग्य दैनिक वेतनभोगी अंशकालिक चौकीदार के चयन के लिए इच्छुक आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र दिनांक 17-12-2024 की सायं 4.00 बजे तक सिविल न्यायालय, रामनगर, नजारत में डिप्टी नाजिर के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं का जायेगा। आवेदक, आवेदन पत्र में अपना नाम, स्थाई एवं वर्तमान पता, एक फोटो, आई.डी.प्रूव, शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित शैक्षणिक दस्तावेज सलंगन करे। तत्पश्चात्, दिनांक 18-12-2024 की सायं 4.00 बजे प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदनकर्ताओं का उक्त पद के चयन हेतु गठित कमेटी के समक्ष साक्षात्कार लिया जाएगा। उक्त आवेदन के प्रचार प्रसार के लिए उक्त प्रस्ताव की प्रति दिनांक 11-12-2024 को सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों व न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा एक प्रति ऑफिशियल बेवसाईड पर भी अपलोड की जाए।


(मीनाक्षी दुबे)
सिविल जज (जू.डि.),
रामनगर।

अवकाश
(राजीव धवन)
सिविल जज (सी.डि.)
रामनगर।


10.12.24
(सयन सिंह)
अपर जिला जज/ प्रभारी अधिकारी
नजारत, रामनगर।